मुख्य परामर्शी (तकनीकी) के पत्रांक–BSEIDC/TECH/266/2015-2383 दिनांक–05.04.2019 के आलोक में निगम के अंतर्गत निर्माणाधीन विश्व बैंक संपोषित परियोजनाओं की दिनांक–15.04. 2019 को आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा आशा व्यक्त की गई कि विश्व बैंक संपोषित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति संतोषप्रद होगी।

मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा बैठक में सभी प्रमण्डलों के लिए सामान्य निदेश दिया गया जो निम्नलिखित है :–

फेज–II कार्य के अंतर्गत acoustics का कार्य कराया जा रहा है जिसके संबंध में वरीय वास्तुविद्, BSEIDC द्वारा बैठक में उपस्थित अभियंताओं/संवेदकों को जरूरी दिशा निर्देश एवं प्रस्तुति दी गई। बैठक में **acoustics material** के कुछ कम्पनियों का नाम बताया गया है एवं निदेश दिया गया कि निम्न पाँच कंपनियों में किसी एक कंपनी का material ही साईट पर लगाना है ये कंपनियाँ हैं : Gyproc/USG Boral/ Arm Strong/ Anutone/ Saint Gobain आदि।

मुख्य परामर्शी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अभियंताओं/संवेदकों को acoustics का कार्य 01 सप्ताह के अंदर प्रारंभ कराने के साथ–साथ ही Acoustics Panel एवं इलक्ट्रिक पोल का Supply order अद्यतन देने का निदेश दिया गया।

प्राचार्य आवास के संबंध में निदेश दिया गया कि जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ यदि पूर्व में निर्मित प्राचार्य आवास मौजूद है तो उसके ऊपर G+2 भवन बनाया जाय वशर्ते कि पहले से कॉलम (column) निकाल कर रखा गया हो।

सभी अभियंताओं को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्राचार्य को पत्र के माध्यम से सूचित करते रहने का निदेश दिया गया।

सभी अभियंता को संबंधित प्राचार्य से उनके सभी grievance को नोट करने के साथ–साथ उनके grievance को प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा के अंदर centage छोड़कर कराने की कार्रवाई की जाय।

सभी कार्यपालक अभियंताओं को महीने के 6 तारीख तक विपत्र को मुख्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया तथापि उसका विपत्र Nil ही क्यों न हो। मुख्य परामर्शी (त०) द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी तत्कालीन प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा उक्त निदेश दिया गया था। इसका कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश दिया गया। इसमें लापरवाही बरतने पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

फेज–II के अंतर्गत कैंपस विकास कार्य के तहत लाईटिंग कार्य कराया जाना है जिसके संबंध में सामान्य निदेश दिया गया कि लाईटिंग कार्य हेतु फिलिप्स/हैवेल्स/बजाज/सिस्का कंपनी का ही लाईटिंग कार्य कराना है।

भागलपुर प्रमण्डल

डायट, बाबुटोला: मेन गेट का कार्य शुरू नहीं हो पाया है जिसपर नाराजगी व्यक्त की गई एवं निदेश दिया गया कि आने वाली बाधा को दूर करते हुए कार्य प्रारम्भ करायें।

मुंगेर प्रमण्डल

डायट, बेगूसराय– उपस्थित अभियंता/संवेदक द्वारा चहारदिवारी का कार्य अप्रैल महीने के अंत तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

दरभंगा प्रमण्डल

डायट, नरार– मुख्य परामर्शी द्वारा डायट नरार के कैंपस विकास कार्य की समीक्षा में उपस्थित अभियंता/संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि चहारदिवारी का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया। बैठक में बताया गया कि मेन गेट एवं गार्ड रूम के संरचना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शीघ्र उसका फिनिसिंग कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण है एवं नाला बनाने का कार्य प्रगति में है। फर्नीचर की आपूर्त्ति पूर्ण कर दी गई है। बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि कुल आवंटित BRC भवन निर्माण में 14 BRC भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है।

मगध प्रमण्डल

इस प्रमण्डल के समीक्षा में यह पाया गया कि विगत फरवरी माह में आयोजित बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जो BRC भवन को पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया गया था वह फेल हो चुका है जिसपर मुख्य परामर्शी द्वारा नाराजगी एवं निंदा व्यक्त की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा 03 BRC भवन को इस माह (अप्रैल) के अंत तक पूर्ण कराने का Commitment दिया गया।

सारण प्रमण्डल

इस प्रमण्डल का भी विगत फरवरी माह में BRC भवन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य फेल पाया गया है।

कोशी प्रमण्डल

कार्यपालक अभियंता से समीक्षा के क्रम में डायट, सुहथ के संबंध में पृच्छा किये जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि डायट, सुहथ का भवन निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। मुख्य परामर्शी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है जिलाधिकारी से मिलकर संबंधित संवेदक को कार्य स्थल पर ले जाकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु तिथि निर्धारित कर मुख्यालय को सूचित करेंगे।

पूर्णिया प्रमण्डल

कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि CTE, Farbishganj के प्राचार्य आवास का फाऊंडेशन का कार्य हो चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त कार्य के संवेदक J.Corp. द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा हे। मुख्य परामर्शी द्वारा किसी प्रकार की बाधा होने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर बैठक में उपस्थित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (श्री मनोज कुमार पाण्डेय) द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सहायक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमण्डल द्वारा भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होने पर सहमति व्यक्त की गई। इस पर मुख्य परामर्शी ने उपस्थित सहायक अभियंता को धीमी प्रगति होने के संबंध में संवेदक को पत्र देने का निदेश दिया गया।

पटना प्रमण्डल (पश्चिम)

समीक्षा में डायट, मोहनियाँ के संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि कार्य तेजी से चल रहा है एवं शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। BRC के शेष 04 निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

पटना प्रमण्डल (पूर्वी)

समीक्षा बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि BRC, सिलाव के संवेदक भोला सिंह द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। मुख्य परामर्शी द्वारा Rescined करने संबंधी अग्रतर कार्रवाई का निदेश दिया गया। डायट, बिहिया के संबंध में सूचित किया गया कि शेष बचे हुए कार्य को संवेदक द्वारा अभी भी नहीं कराया जा रहा है। मुख्य परामर्शी द्वारा सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि संवेदक को अंतिम मापी की तिथि निर्धारित करते हुए पत्र भेजी जाय।

तिरहुत प्रमण्डल (पूर्वी)

मुख्य परामर्शी (तकनीकी) द्वारा BRC औराई की प्रगति के संबंध में पृच्छा किये जाने पर बैठक में उपस्थित संवेदक श्री मनोज कुमार द्वारा 15 मई, 2019 तक पूर्ण करने का commitment किया गया है।

तिरहुत प्रमण्डल (पश्चिम)

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा डायट, छतौनी (मोतीहारी) के संबंध में सूचित किया गया है कि प्राचार्य द्वारा चहारदिवारी की ऊँचाई 2 फीट और बढाने हेतु अनुरोध पत्र दिया गया है। मुख्य परामर्शी (त०) द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा के अन्दर रहने पर इस कार्य को कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सामान्य नोटः समीक्षा बैठक में दिये गये सभी निदेशों के अनुपालन की स्वीकृति इस शर्त्त पर दी जाती है कि कराये जाने वाले अतिरिक्त कार्यों का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि की सीमा में हो।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(ह०/–)
(ब्रजेश प्रसाद)
मुख्य परामर्शी (तकनीकी)
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांक : BSEIDC/TECH/266/2015- 2647 पटना, दिनांक– 29.04.19

प्रतिलिपिःमुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय)/वरीय लेखा पदाधिकारी/वरीय वास्तुविद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि श्री पंकज कुमार सिंह, प्रोग्रामर (ICT) को निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26-4-2019

मुख्य परामर्शी (तकनीकी)